रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/फाल्गुन 3, 1940
No. 836] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/PHALGUNA 3, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

का.आ. 967(अ).—केन्द्रीय सरकार,यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखितऔद्योगिक उपक्रमों में की सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के विभिन्न मदों के अधीन आती है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित करती है, अर्थात् :-

(क) भारत सरकार की टकसालें, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई और हैदराबाद (मद संख्या 11 के अधीन समावेशित);

(ख) भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक (मद संख्या 12 के अधीन समावेशित);

(ग) पर्तिभूती मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद (मद संख्या 12 के अधीन समावेशित);

(घ) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मद संख्या 21 के अधीन समावेशित);

(ङ) बैंक नोट प्रैस, देवास (मद संख्या 22 के अधीन समावेशित);

(च) करैंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड (मद संख्या 25 के अधीन समावेशित).

अत: अब, केन्द्रीय सरकार,औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यह घोषणा करती है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए छह माह की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवाएं होंगी ।

[फा. सं. एस-11017/4/2011-आईआर (पीएल)]
कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2019

S.O. 967(E).—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings under the Ministry of Finance which are covered under different items of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall be declared as public utility services for the purposes of the said Act, namely:

(a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad (covered under item No.11);

(b) India Security Press, Nashik (covered under item No. 12);

(c) Security Printing Press, Hyderabad (covered under item No. 12);

(d) Security Paper Mill, Hoshangabad (covered under item No. 21);

(e) Services in the Bank Note Press, Dewas (covered under item No. 22);

(f) Currency Note Press, Nashik Road (covered under item No. 25).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares from the date of publication of this notification that the said industrial undertakings to be public utility services for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/4/2011- IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.23 15:21:09 +05'30'